

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

(71)

पत्रांक-प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०-27/2018 - 626

/पटना, दिनांक-07-03-19

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के अंतर्गत शेष बचे विभिन्न विद्युत सबस्टेशनों, कार्यालयों में महिला एवं पुरुष शौचालय निर्माण हेतु 14.53 करोड़ (चौदह करोड़ तिरेपन लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3.3737 करोड़ (तीन करोड़ सैतीस लाख सैतीस हजार) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के अंतर्गत शेष बचे 409 विभिन्न विद्युत सबस्टेशनों, कार्यालयों में महिला एवं पुरुष शौचालय निर्माण का प्रस्ताव तैयार किया गया है। जिसके लिए कुल अनुमानित लागत 14.53 करोड़ (चौदह करोड़ तिरेपन लाख) रुपये आकलित की गई है। इस योजना से साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के अंतर्गत विभिन्न विद्युत सबस्टेशनों, कार्यालयों में महिला एवं पुरुष शौचालय निर्माण होने से आवश्यक सुविधा प्राप्त होगी।

2. दिनांक-26.02.2019 को विद्युत भवन के कार्यक्रम में कंपनी द्वारा महिला/पुरुष शौचालय निर्माण कार्य की हुयी प्रशंसा तथा कंपनी के असैनिक अभियंताओं द्वारा शौचालय निर्माण कार्य में प्राप्त की गयी दक्षता के मद्देनजर मिशन 45 के तर्ज पर ही प्रस्तावित महिला एवं पुरुष शौचालय का निर्माण राज्य योजना से किया जाना है।


3. उक्त आलोक में साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० के अंतर्गत शेष बचे विभिन्न विद्युत सबस्टेशनों, कार्यालयों में महिला एवं पुरुष शौचालय निर्माण हेतु 14.53 करोड़ (चौदह करोड़ तिरेपन लाख) रुपये की नयी योजना की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 3.3737 करोड़ (तीन करोड़ सैतीस लाख सैतीस हजार) रुपये साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं० लि० को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

4. उक्त राशि माँग सं०-10, मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष-190- सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपकर्मों में निवेश, उपशीर्ष-0111-बिहार स्टेट पावर (हो०) कं० लि० की परियोजना, विपत्र कोड-10-4801051900111 विषय शीर्ष 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 एवं अगले वित्तीय वर्ष में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

5. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर साउथ बिहारे पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448- स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0047- साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०, व्यय शीर्ष-L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200047 में जमा की जाएगी।

- 70)
6. साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी० एल० खाता संख्या PLA275 से की जाएगी।
 7. वित्त विभाग के संकल्प संख्या-3758 दिनांक-31.05.2017 के आलोक में परियोजना के स्वीकृति प्रदान की जाती है।
 8. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-7355 दिनांक-05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
 9. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु सक्षम प्राधिकार माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०-27/2018 के पृष्ठ संख्या-13/टि० पर दिनांक-05.03.2019 को प्राप्त है।
 10. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०-27/2018 के पृष्ठ संख्या-15/टि० पर दिनांक-06.03.2019 को प्राप्त है।


बिहार राज्यपाल के आदेश से


(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।


ज्ञापांक-प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०-27/2018 - 626 /पटना, दिनांक-06-03-19

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०/सा०बि०पा०डि०कं०लि०-27/2018 - 625 /पटना, दिनांक-06-03-19

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होल्डिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि०/आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सरकार के प्रधान सचिव।